दिनांक–19 अप्रैल, 2012 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय :–

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

1. मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु ''मार्ग निदेर्शिका –2012'' की स्वीकृति के संबंध में। — स्वीकृत।

कृषि विभाग

2. श्री दिलीप कुमार (बिहार कृषि सेवा कोटि–1 शष्य वर्ग–2) तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर सम्प्रति निलंबित मुख्यालय कृषि निदेशालय, बिहार, पटना को निगरानी विभाग अन्वेषण ब्यूरों, बिहार, पटना के द्वारा गठित धावा दल के द्वारा दिनांक– 18.03. 2010 को परिवादी श्री गौतम कुमार से 10,000/–(दस हजार) रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाने के प्रमाणित आरोपों के परिपेक्ष्य में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

3. संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में विभिन्न कोटि के पदों के सृजन का प्रस्ताव। — स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

4. केन्द्रीय योजनागत योजना अन्तर्गत षष्टम आर्थिक गणना के निमित्त वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक तीन वित्तीय वर्षों में 30 माह के लिए मो० 1,20,27,000 (एक करोड़ बीस लाख सताईस हजार) रूपये के अनुमानित व्यय पर एक नए कोषांग गठित करने हेतु विभिन्न श्रेणी के कुल आठ पदों के सृजन की स्वीकृति। — स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

5. रोहतास जिलान्तर्गत शिवसागर अंचल के मौजा–शिवसागर, थाना नं०–372, खाता नं०–123, खेसरा नं०–71/313 एवं 23 रकवा क्रमशः 0. 65 एकड़ एवं 0.35 एकड़ कुल रकवा–1.00 एकड़ (एक एकड़) अनावाद सर्वसाधारण किस्म परती भूमि 33/11 के०भी० विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु कुल 1,57,50,000/–रू० (एक करोड़ सनतावन लाख पचास हजार) के भुगतान पर बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

6. बक्सर जिलान्तर्गत इटाढ़ी अंचल के मौजा–अतरौना, थाना नं०–10, खाता संख्या–329, खेसरा संख्या–833, रकबा–0.12 एकड़ (बारह डी०) अनाबाद सर्वसाधारण किस्म रास्ता भूमि प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र, अतरौना के भवन निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

7. सहरसा जिले के सत्तर कटैया अंचल के सहरसा नगरपालिका के वार्ड नं०–5, मौजा–हसाहकपाडा, थाना नं०–183, खाता सं०–10, खेसरा नं०–118, रकवा–0. 885 एकड़ तथा खेसरा सं०–119, रकवा– 0.12 एकड़ कुल 1.005 एकड़ भूमि, जो लोक निर्माण विभाग के अधीन है, पर्यवेक्षण गृह निर्माण हेतु समाज कल्याण विभाग को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण। — स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

8. बक्सर जिलान्तर्गत इटाढ़ी अंचल के मौजा–चिलहर, थाना नं०–253, खाता संख्या–339, खेसरा संख्या–241, रकबा–0.12 एकड़ (बारह डी०) अनाबाद सर्वसाधारण किस्म आम बाग भूमि प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र, चिलहर के भवन निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

9. बक्सर जिलान्तर्गत सिमरी अंचल के मौजा–रानी सिंहनपुरा, थाना नं०–83, खाता संख्या–195, खेसरा संख्या–1305, रकबा–0.10 एकड़ (दस डी०) अनाबाद सर्वसाधारण किस्म पोखर पिंड भूमि प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र, रानी सिंहनपुरा के भवन निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — स्वीकृत।

वित्त विभाग

10. राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों /पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01.01.2012 के प्रभाव से 58 प्रतिशत के स्थान पर 65 प्रतिशत मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में। — स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

11. शिक्षा विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के लिए ''मुख्य अभियंता (असैनिक)'' के पद सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

12. डा० (श्रीमती) विभाषिणी प्रसाद, कुष्ठ नियंत्रण इकाई, गोपालगंज, सम्प्रति–(निलंबित), मुख्यालय क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ पटना प्रमंडल पटना के बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करने का प्रस्ताव। — स्वीकृत।

संसदीय कार्य विभाग

13. पंचदश बिहार विधान सभा का पंचम–सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 170वें सत्र का सत्रावसान संलेख पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में। — स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

14. बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 की धारा–16 (i) एवं बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के नियम 13 (i) के आलोक में स्व० त्रिपुरारी शरण, सेवानिवृत अवर सचिव गृह (आरक्षी) विभाग को दिनांक–06.10.94 से उप सचिव के पद पर वेतनमान 3700–5000 में सभी अनुवांशिक लाभों सहित प्रोन्नति देने के संबंध में। — स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

15. बिहार नॉलेज सोसाईटी (Bihar Knowledge Society) की स्थापना की स्वीकृति के सबंध में। — स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

16. राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के स्वीकृत पद, नियुक्ति, प्रोन्नति एवं वेतन निर्धारण एवं बकाया वेतनादि एवं पेंशनादि राशि की अनुमान्यता की जाँच हेतु एक कमिटी के गठन के संबंध में। — स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

17. राजभवन परिसर अन्तर्गत निर्माणाधीन ''राजेन्द्र मंडप'' के लिए पूर्व में रू० 411.53 लाख पर प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति को पुनरीक्षित करते हुए रू० 577.823 लाख (पाँच करोड़ सतहत्तर लाख बेरासी हजार तीन सौ रू०) के पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

19. राज्य में खाद्यान अधिप्राप्ति (धान/गेहूँ) कार्य हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को ऋण स्वरूप वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बिहार राज्य सहकारी बैंक लि० एवं अनुवर्ती ऋण प्रयोजन के उपयोगकर्त्ता राज्य एजेन्सी बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को नावार्ड द्वारा उपलब्ध होने वाले कुल 300 (तीन सौ) करोड़ रूपये ऋण का राजकीय गारण्टी प्रदान करने के संबंध में। — स्वीकृत।

अन्यान्य

20. संविधान की धारा 171 (3)(e) के साथ पठित धारा 171 (5) के तहत बिहार विधान परिषद् में मनोनयन द्वारा भरे जाने वाले सदस्यों के रिक्त या रिक्त होने वाले पदों पर मनोनयन हेतु महामहिम राज्यपाल को अनुशंसा भेजने के लिए मुख्यमंत्री को प्राधिकृत किया गया।